# -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 02.04.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना मरका क्षेत्र में वर्ष-2011 में व्यक्ति को जान से मारने वाले अभियुक्त को दिलाई गई आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

**विवरण**– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2011 में थाना मरका क्षेत्रान्तर्गत ग्राम साड़ा में व्यक्ति को जान से मारने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 17/18.02.2011 को थाना मरका क्षेत्र के ग्राम साड़ा में पप्पू उर्फ उदयवीर सिंह द्वारा थाना पैलानी क्षेत्र के ग्राम अलोना के रहने वाले प्रेम सिंह उर्फ बबलू पुत्र जागेश्वर सिंह की लाठी डण्डे से मारकर हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 21.02.2011 को मृतक के भाई मान सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना मरका में मु0अ0सं0 16/11 धारा 302/306 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरी0 श्री राकेश कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री जय प्रकाश साहू द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी अमित कुमार तथा पैरोकार आरक्षी पुरुषोत्तम के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

**अभियुक्त-**

1. पप्पू उर्फ उदयवीर सिंह पुत्र फूल सिंह निवासी अलोना थाना पैलानी जनपद बांदा।

**अभियोजक**
**श्री जयप्रकाश साहू**

**विवेचक**
**निरी0 श्री राकेश कुमार मिश्रा**

**कोर्ट मोहर्रिर**
**आ0 अमित कुमार**

**पैरोकार**
**आ0 पुरुषोत्तम**